94

समक्ष माननीय राजस्व मंडल म०प्र० ग्वालियर कैम्प सागर

सरमन तनय बंदू लोधी
निवासी ग्राम रामनगर, तह0 बड़ागॉव,
जिला टीकमगढ़ म0प्र0

.......आवेदक

//विरूद्ध//

1. अमना तनय रट्ठी अहिरवार
निवासी ग्राम रामनगर, तह0 बड़ागॉव,
जिला टीकमगढ़ म0प्र0
2. सूका तनय भगैना अहिरवार
निवासी इमलाना तह0 बल्देवगढ़
3. महिला कल्लू पुत्री भगैना अहिरवार
निवासी ग्राम गुखरई,
तह0 बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़

...अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा-50 म०प्र०भू-राजस्व संहिता 1959 एवं संशोधन अधिनियम 2011 के अनुसार

उपरोक्त आवेदक न्यायालय अपर अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमाँक 119/अपील/2015-2016 में पारित आदेश दिनांक 20.09.2017 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता हैः-

1. यह कि, प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अनावेदक क0 1 अमना वल्द रट्ठी द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार बड़ागॉव जिला टीकमगढ़ के प्रकरण 137/अ-6-6/2013-14 आदेश दिनांक 23.12.15 के विरूद्ध अपील अवधि बाह्य प्रस्तुत की थी जबकि अपीलकर्ता अनावेदक क्र.1 को पूर्व से ही पारित आदेश की जानकारी रही है इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.09.17 जिसमें अवधि अधिनियम का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया है, से परिवेदित होकर यह निगरानी विधिवत रूप से श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा.2017/6094 सरमन विरूद्ध अमना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 119/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 20-09-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 25-11-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर दमोह के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर दमोह को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर दमोह के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर दमोह के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

4.1.19

(आर.के. जैन)
सदस्य